

**C O N T E N T S**

**Fifteenth Series, Vol. XXXIII, Thirteenth Session, 2013/1935 (Saka)  
No. 26, Monday, April 29, 2013/Vaisakha 09, 1935 (Saka)**

<b><u>S U B J E C T</u></b>	<b><u>P A G E S</u></b>
<b>ORAL ANSWER TO QUESTION</b>	
Starred Question No. 462	3-6
<b>WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS</b>	
Starred Question Nos.461, 463 to 480	7-60
Unstarred Question Nos.5286 to 5515	61-495

<b>PAPERS LAID ON THE TABLE</b>	496-518
<b>STANDING COMMITTEE ON DEFENCE</b> 19 <sup>th</sup> and 20 <sup>th</sup> Reports	519
<b>STANDING COMMITTEE ON LABOUR</b> 35 <sup>th</sup> and 36 <sup>th</sup> Reports	519
<b>STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES</b> (i) 17 <sup>th</sup> Report (ii) Statement	520
<b>MOTION RE: FORTY-SEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE</b>	521
<b>MATTERS UNDER RULE 377</b>	529-542
(i) Need to include gale/whirlwind under Calamity Relief Fund and grant immediate financial assistance to the banana farmers who suffered loss of their produce in Tirunelveli district, Tamil Nadu.  Shri S.S. Ramasubbu	529-530
(ii) Need to permit mixed land use in Lal Dora villages in Delhi.  Shri Jai Prakash Agarwal	531
(iii) Need to establish Inter Colleges in Barabanki parliamentary constituency in Uttar Pradesh under Multi-sectoral Development Programme for Minority Concentration Districts.  Shri P.L. Punia	532

- (iv) Need to establish Kendriya Vidyalayas in the remaining 55 districts of Uttar Pradesh.
- Shri Harsh Vardhan
- 533
- (v) Need to re-name the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur after Meera Bai, the princess and a devotee of Lord Krishna.
- Shri Arjun Ram Meghwal
- 534
- (vi) Need to set up rehabilitation centres for orphaned and poor street children in every district of the country.
- Shri Virendra Kumar
- 535
- (vii) Need to set up a Bench of Allahabad High Court at Meerut or Moradabad.
- Dr. Shafiqur Rahman Barq
- 536-537
- (viii) Need to undertake construction of road from Beldaur to Priyanagar in Khagaria district, Bihar under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.
- Shri Dinesh Chandra Yadav
- 538
- (ix) Need to set up a Rail Industrial Park in East Midnapore, West Bengal.
- Shri Suvendu Adhikari
- 539-540
- (x) Need to adopt safety measures to prevent fire in ONGC oil wells in Nagapattinam parliamentary constituency, Tamil Nadu and also to provide employment to the local youth by ONGC.
- Shri A.K.S. Vijayan
- 541

- (xi) Need to impress upon the Government of Bihar to provide all facilities to teachers and students to help improve standards of teaching in Government schools in Bihar.

Shri Jagadanand Singh

542

**ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

544

Member-wise Index to Unstarred Questions

545-549

**ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

550

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

551

**OFFICERS OF LOK SABHA**

**THE SPEAKER**

Shrimati Meira Kumar

**THE DEPUTY SPEAKER**

Shri Karia Munda

**PANEL OF CHAIRMEN**

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

**SECRETARY GENERAL**

Shri T.K. Viswanathan

**LOK SABHA DEBATES**

---

---

LOK SABHA

-----

Monday, April 29, 2013/Vaisakha 09, 1935 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैडम, चाइना पूरे देश की सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल। प्रश्न 461 - डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

... (व्यवधान)

**11.0½ hrs**

*At this stage Shri Ganesh Singh, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... \**

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न 461 - डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह - उपस्थित नहीं।

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Q. 462 - Hon. Minister.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : श्री सतपाल महाराज बोलिए।

... (व्यवधान)

**11.01 hrs****(Q. No. 462)**

**श्री सतपाल महाराज :** महोदया, मैं उत्तराखण्ड से आता हूँ और उत्तराखण्ड में बीआरओ की काफी सड़कें बनी हुई हैं। ...(व्यवधान) मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि सेराबगढ़ में पहाड़ टूटता रहता है ...(व्यवधान) और वहां पर रास्ते को पूरी तरह से संचालित करने के लिए क्या विभाग कोई सुरंग बना रहा है? ...(व्यवधान) क्योंकि वहां सुरंग का बनना बहुत आवश्यक है। ...(व्यवधान) सुरंग के बनने से चार धाम की यात्रा बाधित नहीं होगी। ...(व्यवधान) मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि वहां पर रास्ते के सही संचालन के लिए क्या वे सुरंग बना रहे हैं। ...(व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र सिंह :** मैडम, यह जो सवाल था, वह डिफेंस प्रोडक्शन और इंडिजिनाइज़ेशन के ऊपर था। ...(व्यवधान) यह सवाल बीआरओ के ऊपर नहीं था। ...(व्यवधान) फिर भी मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीआरओ का मैं स्वयं रिव्यू कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) और उन्होंने जो सवाल पूछा है, उसकी डिटेल्स मैं उनको भिजवा दूंगा। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

**11.03 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Twelve  
of the Clock.*

---



**12.00 hrs**

*The Lok Sabha reassembled at Twelve of the clock.*

*(Dr. Girija Vyas in the Chair)*

... (व्यवधान)

सभापति महोदया: कुछ काम तो करने दीजिए।

... (व्यवधान)

**12.0 ½ hrs**

*At this stage Shri Ganesh Singh, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

**12.01 hrs****PAPERS LAID ON THE TABLE**

MADAM CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR):

Madam, on behalf of my colleague Shri G.K. Vasani, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012.

- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library. See No. LT 8916/15/13)

- (3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2011-2012.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library. See No. LT 8917/15/13)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2011-2012.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library. See No. LT 8918/15/13)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2011-2012.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library. See No. LT 8919/15/13)

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Steelworks Construction Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8920/15/13)

- (2) Memorandum of Understanding between the Steel Authority of India Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8921/15/13)

- (3) Memorandum of Understanding between the MOIL Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8922/15/13)

- (4) Memorandum of Understanding between the MSTC Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8923/15/13)

- (5) Memorandum of Understanding between the KIOCL Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8924/15/13)

- (6) Memorandum of Understanding between the Rashtriya Ispat Nigam Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8925/15/13)

- (7) Memorandum of Understanding between the NMDC Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8926/15/13)

- (8) Memorandum of Understanding between the MECON Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8927/15/13)

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2010-2011.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library. See No. LT 8928/15/13)

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI JITENDRA SINGH): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Outcome Budget of the National Cadet Corps, Ministry of Defence, for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8929/15/13)

- (2) Outcome Budget of the Directorate General Married Accommodation Project, Ministry of Defence, for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8930/15/13)

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of my colleague Shrimati D.Purandeswari, I beg to lay on the Table a copy of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 2013 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 379(E) in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> February, 2013 under Section 34 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985.

(Placed in Library. See No. LT 8931/15/13)

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2011-2012.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library. See No. LT 8932/15/13)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987:-

- (i) S.O. 596(E) published in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> March, 2012, extending for placement of orders beyond 10.03.2013 i.e. upto 15.03.2013 and completion of supplies beyond 31.03.2013 i.e. upto 15.04.2013 for a quantity of 2.30 lakh bales only of HDPE/PP bags during the jute year 2012-2013.
- (ii) S.O. 818(E) published in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> March, 2012, extending for placement of orders beyond 15.03.2013 i.e. upto 31.03.2013 and completion of supplies beyond 15.04.2013 i.e. upto 30.04.2013 for a quantity of 1.40 lakh bales only of HDPE/PP bags during the jute year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 8933/15/13)

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Memorandum of Understanding between the NTC Limited and the Ministry of Textiles for the year 2013-2014.
- (ii) Memorandum of Understanding between the Central Cottage Industries Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8934/15/13)

... (*Interruptions*)

**12.03 hrs**

*At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats.*

.....(*Interruptions*)

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग):** सभापति महोदया, मैं श्री सर्वे सत्यनारायण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (एक) का.आ. 1003(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 75 (ग्वालियर - शिवपुरी खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है ।
- (दो) का.आ. 664(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है ।
- (तीन) का.आ. 1799(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।



- (चार) का.आ. 1755(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (पांच) का.आ. 1216(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (छह) का.आ. 1815(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (सात) का.आ. 2491(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (आठ) का.आ. 2583(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (नौ) का.आ. 2482(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (दस) का.आ. 2584(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (ग्यारह) का.आ. 2599(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (बारह) का.आ. 2542(अ) जो 23 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (तेरह) का.आ. 2861(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (चौदह) का.आ. 2249(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (पंद्रह) का.आ. 2485(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल - पनदुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (सोलह) का.आ. 2544(अ) जो 23 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख ( अमरवाडा से छिंदवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (सत्रह) का.आ. 2467(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (अठारह) का.आ. 2471 (अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे - सोलापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (उन्नीस) का.आ. 2481(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क ( छिंदवाडा से छिंदवाडा/शिवनी जिला सीमा ) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (बीस) का.आ. 2461(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (इक्कीस) का.आ. 2468(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क ( बेतुल/छिंदवाड़ा जिला सीमा से छिंदवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (बाइस) का.आ. 2091(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (तेइस) का.आ. 1754(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (चौबीस) का.आ. 2860(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 ( शिवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (पच्चीस) का.आ. 1527(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 ( शिवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (छब्बीस) का.आ. 661(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 ( औरंग - सरायपाली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (सत्ताइस) का.आ. 1826(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर - मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (अठाइस) का.आ. 917(अ) जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (उनतीस) का.आ. 2243(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (तीस) का.आ. 1332(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (इकतीस) का.आ. 2227(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( देवास - इंदौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (बत्तीस) का.आ. 2115(अ) जो 8 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (तेतीस) का.आ. 2226(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (चौतीस) का.आ. 2246(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल - पंदुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (पैतीस) का.आ. 1969(अ) जो 25 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( ग्वालियर - शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (छतीस) का.आ. 2333(अ) जो 28 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( ग्वालियर - शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (सैतीस) का.आ. 663(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (अड़तीस) का.आ. 1005(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (उनचालीस) का.आ. 597(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 75 ( ग्वालियर - शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (चालीस) का.आ. 487(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 ( जबलपुर - राजमार्ग क्रॉसिंग खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (इकतालीस) का.आ. 2593(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 ( विशाखापत्तनम - भुवनेश्वर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (बयालीस) का0आ0 1562(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (तेतालीस) का0आ0 2248(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जोरहट से डिब्रुगढ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (चवालीस) का.आ. 873(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अबदुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (पैंतालीस) का0आ0 528(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट - मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (छियालीस) का0आ0 1486(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (उमरनाला से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (सैंतालीस) का.आ. 600(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (अड़तालीस) का.आ. 1558(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (उनचास) का0आ0 587(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (डेजिन चैनेज ) के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (पचास) का.आ. 905(अ) जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अबदुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुसूक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।



- (इक्यावन) का.आ. 750(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (बावन) का0आ0 607(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का0आ0 943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (तिरपन) का0आ0 1227(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपास के निर्माण सहित) (औरंग - सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (चौवन) का0आ0 1788(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपास के निर्माण सहित) (औरंग - सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (पचपन) का0आ0 1341(अ) से का0आ0 1344(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (औरंग - सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (छप्पन) का0आ0 1484(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपास के निर्माण सहित) (औरंग - सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (सतावन) का0आ0 553(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (अठावन) का0आ0 871(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (उनसठ) का0आ0 1011(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (साठ) का0आ0 542(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (इकसठ) का0आ0 673(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर - लखनडन खंड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (जबलपुर - मंडला खंड) (नए सरेखण सहित) पर जुड़ने वाले जबलपुर बायपास के विस्तार हेतु निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (बासठ) का0आ0 747(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का0आ0 3075(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

- (तिरसठ) का.आ. 1531(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (चौसठ) का0आ0 1798(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (पैंसठ) का0आ0 1463(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (नुमालीगढ-दा-धारा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (छियासठ) का.आ. 874(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-परवानू खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सडसठ) का.आ. 964(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अडसठ) का.आ. 959(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनहत्तर) का.आ. 646(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सत्तर) का.आ. 658(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकहत्तर) का.आ. 2264(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बहत्तर) का.आ. 2196(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर से भुवनेश्वर-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तिहत्तर) का.आ. 2355(अ) जो 3 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौहत्तर) का.आ. 560(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पंडुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचहत्तर) का.आ. 1920(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छिहत्तर) का.आ. 2192(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतहत्तर) का.आ. 1215(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अट्ठहत्तर) का.आ. 606(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (अमरवार से छिंदवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नासी) का.आ. 1525(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अस्सी) का.आ. 2258(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (इक्यासी) का.आ. 1821(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बयासी) का.आ. 2033(अ) जो 5 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2177(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (तिरासी) का.आ. 2240(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सब-डिवीजनल अधिकारी, राजस्व, कन्नोद को मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है ।
- (चौरासी) का.आ. 1490(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचासी) का.आ. 543(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियासी) का.आ. 1006(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतासी) का.आ. 969(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठासी) का.आ. 1001(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (नवासी) का.आ. 1805(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नब्बे) का.आ. 1761(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यान्वे) का.आ. 886(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बानवे) का.आ. 1907(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरानवे) का.आ. 532(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौरानवे) का.आ. 875(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पंचानवे) का.आ. 1816(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियानवे) का.आ. 1239(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तहसीलदार, बरकोट को उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (सतानवे) का.आ. 2460(अ) जो 31 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित अधिकारियों को उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (अठानवे) का.आ. 1922(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (निन्यानवे) का.आ. 2330(अ) जो 28 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सौ) का.आ. 2204(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ एक) का.आ. 595(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ दो) का.आ. 1002(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तीन) का0आ0 657(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का0आ0 1243(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।



- (एक सौ चार) का.आ. 1373(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पांच) का.आ. 665(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छह) का.आ. 888(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सात) का.आ. 890(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ आठ) का.आ. 965(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ नौ) का.आ. 979(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पंडुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ दस) का.आ. 961(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ ग्यारह) का.आ. 2839(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।

- (एक सौ बारह) का.आ. 2842(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ तेरह) का.आ. 2864(अ) जो 10 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ चौदह) का.आ. 2905(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ पंद्रह) का.आ. 2906(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ सोलह) का.आ. 2922(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ सत्रह) का.आ. 2923(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ अठारह) का.आ. 2980(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।

- (एक सौ उन्नीस) का.आ. 2921(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ बीस) का.आ. 2904(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ इक्कीस) का.आ. 2843(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ बाईस) का.आ. 2840(अ) जो 6 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ तेईस) का.आ. 2841(अ) जो 6 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ चौबीस) का.आ. 420(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।
- (एस सौ पच्चीस) का.आ. 400(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ छब्बीस) का.आ. 401(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ सत्ताईस) का.आ. 402(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।





- (एक सौ अढ़तालीस) का.आ. 39(अ) जो 3 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ उनचास) का.आ. 116(अ) जो 9 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ पचास) का.आ. 2872(अ) जो 11 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 862(अ) को निरस्त किया गया है।
- (एक सौ इकावन) का.आ. 448(अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।
- (एक सौ बावन) का.आ. 1460(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जवलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है ।



- (एक सौ तिरसठ) का.आ. 881(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है ।
- (एक सौ चौसठ) का.आ. 742(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है ।
- (एक सौ पैसठ) का.आ. 787(अ) जो 20 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना-बेला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है ।
- (एक सौ छियासठ) का0आ0 841(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का0आ0 1210(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (एक सौ सढ़सठ) का0आ0 850(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का0आ0 2442(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (एक सौ अढ़सठ) का.आ. 327(अ) जो 6 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बीवर-बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है ।
- (एक सौ उनहत्तर) का.आ. 328(अ) जो 6 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना-बेला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है ।
- (एक सौ सत्तर) का.आ. 357(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है ।
- (एक सौ इकहत्तर) का.आ. 358(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है ।



(एक सौ बहत्तर)

का.आ. 500(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है ।

(एक सौ तिहत्तर)

का.आ. 2198(अ) जो 18 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुसंधान, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है ।

(Placed in Library. See No. LT 8935/15/13)

---

**12.04 hrs****STANDING COMMITTEE ON DEFENCE  
19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Reports**

**श्री राज बब्बर (फ़िरोज़ाबाद):** सभापति महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :--

- (1) रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वाँ प्रतिवेदन।
- (2) रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 20वाँ प्रतिवेदन।

**12.04 ¼ hrs****STANDING COMMITTEE ON LABOUR  
35<sup>th</sup> and 36<sup>th</sup> Reports**

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** सभापति महोदया, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

- (1) श्रम और रोज़गार मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 35वाँ प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 36वाँ प्रतिवेदन।

**12.04 ½ hrs****STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES****(i) 17<sup>th</sup> Report**

SHRI DIP GOGOI (KALIABOR): I beg to present the Seventeenth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Water Resources on 'Demands for Grants (2013-14)' of the Ministry of Water Resources.

... (*Interruptions*)

**(ii) Statement**

SHRI DIP GOGOI : I beg to lay a Statement (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Water Resources (2012-2013) showing Further Action-taken by the Government on the Recommendations/ Observations contained in the Fifteenth Report (15<sup>th</sup> Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the Eleventh Report (15<sup>th</sup> Lok Sabha) on 'Review of Central Soil and Materials Research Station' of the Ministry of Water Resources.

... (*Interruptions*)

---

**12.05 hrs**

**MOTION RE: FORTY-SEVENTH REPORT OF  
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I beg to move:

“That this House do agree with the Forty-seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26<sup>th</sup> April, 2013.”

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That this House do agree with the Forty-seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26<sup>th</sup> April, 2013.”

*The motion was adopted.*

---

... (व्यवधान)

सभापति महोदया : प्लीज, आप बैठिए। अपनी जगह पर जाएं।

... (व्यवधान)

सभापति महोदया : कुछ महत्वपूर्ण बातें सदन में भी होनी हैं।

... (व्यवधान)

सभापति महोदया : प्लीज, आप अपनी जगह पर बैठिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदया : कुछ सदन की कार्यवाही भी चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदया : प्लीज, आप श्री मुलायम सिंह को सुनिए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहूंगा। ... (व्यवधान)

घोटा ले तमाम हैं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदया : हाउस में भी कुछ काम होने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, आप इधर देखिए। इन्हें करने दीजिए। ... (व्यवधान)

**सभापति महोदया :** मैंने मुलायम सिंह जी का नाम पुकारा है और यह सदन की परंपरा रही है कि जब कोई नेता बोलते हैं तो हम लोग उन्हें सुनते हैं। आप कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं। आप सदन में सुनना नहीं चाहते हैं। आप अपने स्थानों पर जाइए। उन्हें सुनिए।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** हम भी इन्हें कभी बोलने नहीं देंगे। ...(व्यवधान)

सभापति जी, हम आपके सामने देश की सीमा के सवाल को रखना चाहते हैं। वर्ष 1962 के हमले में और उस से पहले वर्ष 1952 में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने सावधान किया था कि चीन हमले की तैयारी कर रहा है।...(व्यवधान) जब यहां चाउ-एन-लाई आए थे तभी सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था कि ये हमले की तैयारी कर रहे हैं और आप चाउ-एन-लाई का स्वागत कर रहे हैं। उस समय नेहरू जी और सभी ने उन का भारी स्वागत किया। जब वे यहां से लौट कर गए तो उस के बाद वर्ष 1962 में हमला किया। चीन ने एक लाख वर्ग किलो मीटर तक कब्जा कर लिया।...(व्यवधान) यहां सदन के अन्दर यह फैसला हुआ कि जब तक हमारी एक लाख वर्ग किलो मीटर जमीन से चीन नहीं हटेगा तब तक चीन से हम कोई बात नहीं करेंगे। यह कोई और नहीं, बल्कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सदन के अंदर कहा था कि हम चीन से तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक चीन का हमारी एक लाख वर्ग किलो मीटर पर जो कब्जा है, उसे वापस न कर दिया जाए।...(व्यवधान) पर, ये फिर भी चीन से बातचीत करते रहे, चीन में जाते रहे। हमारे मिनिस्टर वहां जा कर चीन की तारीफ़ कर रहे हैं और कभी यह सवाल नहीं उठाया।...(व्यवधान) अब चीन ने फिर हमला कर दिया। हम आप से लगातार आठ दिन से बोल रहे हैं कि चीन कब्जा कर रहा है, करने वाला है। इस से पहले मैं लगातार आठ सालों से कह रहा हूं कि चीन पूरी तैयारी कर चुका है। वह सीमा पर कब्जा करेगा लेकिन सरकार ने नहीं सुना।...(व्यवधान) रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से मैंने खुद कहा। यहां हम ने कांग्रेस अध्यक्ष को भी इशारा किया कि आप कम से कम इस में हस्तक्षेप करें लेकिन देश के सवाल पर हमारी बात को नहीं माना गया। मुझे अफ़सोस, दुःख इस बात का है कि...(व्यवधान) ऐसे देश के गंभीर मामले में चेयर हस्तक्षेप करती हैं। अब जो भी हो, आप क्यों नहीं कर पाए, हम नहीं कह सकते।...(व्यवधान) हम चेयर पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन चेयर की भी जिम्मेदारी थी कि जब हम यह कह रहे हैं कि चीन हमला कर रहा है तो हस्तक्षेप करके सरकार को कह देना चाहिए।...(व्यवधान) अब चीन ने कब्जा कर लिया है। वह सीमा में 19 किलो मीटर अंदर घुस आया। उस ने अपनी सेना और टैंक और टेन्ट लगा दिए हैं और आप यहां से चीन भेज रहे हैं मंत्री को।...(व्यवधान) मंत्री देश के ...\* जा रहे हैं।...(व्यवधान) चीन

---

\* Not recorded as ordered by the Chair

नहीं हटेगा। हमारी सेना क्रमजोर नहीं है - रक्षा समिति की हर हफ्ते होने वाली हर मीटिंग में सेनापति ने कहा है।...(व्यवधान) मैंने पूछा, पता लगाया तो डिफेंस ने सेना के बाकायदा सेना के जो भी चीफ गए हों, जो भी हों, उन्होंने हर वक्त कमेटी की मीटिंग में प्रधानमंत्री के सामने सवाल उठाया। हम रहे हैं और शरद पवार जी भी रक्षा मंत्री रहे हैं। हर हफ्ते मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सवाल उठा, मुझे खबर मिली है। ...(व्यवधान) लेकिन उसके बाद भी प्रधान मंत्री जी ने कोई भी...(व्यवधान) सवाल गंभीरता से नहीं उठाया। ...(व्यवधान) चीन में मंत्री जी गए, वहां उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। ...(व्यवधान) मैंने उनसे कहा कि आप वहां जाकर उनकी तारीफ करके आए हैं। ...(व्यवधान) वह हम पर कब्जा कर रहा है और आप चीन की तारीफ करके आए हैं। ...(व्यवधान) यह हालत है कि सीमा पर कब्जा हो रहा है और मंत्री जी चीन में जाकर उनकी तारीफ करते हैं। ...(व्यवधान) चीन ने कब्जा कर दिया, 19 किलोमीटर अंदर घुस आया। ...(व्यवधान) सरकार मुझे बताए, हमारी सेना तैयार थी और आज भी तैयार है।...(व्यवधान) अभी आर्मी चीफ का बयान आ गया कि मैं खदेड़ दूंगा, यहां आकर बताएं कि सरकार ने सेना को निर्देश क्यों नहीं दिए और क्या दिए?...(व्यवधान) जब आर्मी चीफ बोल रहा है, वह कह रहा है कि हम इन चीनियों को खदेड़ देंगे। सरकार, रक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री जी मुझे बताएं कि क्या वजह है? क्या चीन को जमीन देना चाहते हो?...(व्यवधान) उसके बाद देश पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है।...(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** अब आप कंकलुड कीजिए।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** पूरा चीन अगर किसी को दुश्मन मानता है,...(व्यवधान) मैंने कहा कि चीन हमारे हिन्दुस्तान के खिलाफ है और हमारे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वह चीन है और चीन से खतरा है, पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है।...(व्यवधान) उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया, हम आपके माध्यम से कहेंगे, रक्षा मंत्री जी तत्काल यहां आकर बयान दें। हम उनकी बात सुनना चाहेंगे। रक्षा मंत्री जी से हम रोज यहां कहते रहे।...(व्यवधान) यहां पर बुला-बुला कर कहा, प्रधान मंत्री जी अपना बयान दें। ...(व्यवधान) हमने बकायदा उनके चेम्बर में जाकर भी कहा है, तब भी हमारी बात को नहीं सुना गया। ...(व्यवधान) क्या वजह है?...(व्यवधान)

**MADAM CHAIRMAN:** Hon. Member, please conclude.

... *(Interruptions)*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** हमारा आरोप है कि इतनी कमजोर, डरपोक और कायर सरकार कभी नहीं आई।...(व्यवधान) जो कम से कम यह नहीं कर सकती, हमारी फौज तैयार खड़ी है। ...(व्यवधान) आर्मी

चीफ कह रहा है कि मैं खदेड़ दूंगा, फिर क्या वजह है? सेना स्वीकार कर चुकी है, सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। हमारी बहादुर सेना है। ...(व्यवधान) चीन इस तरह से हमला नहीं कर सकता था। ...(व्यवधान) हमारी सेना को इजाजत नहीं दी जा रही है।...(व्यवधान) आर्मी चीफ इजाजत मांग रहा है, हम खदेड़ देंगे। यह सरकार बताए, क्या वजह है? मैं कहना नहीं चाहता था, सेना में हमारी बहुत जानकारी है, आपकी भी जानकारी होगी। ...(व्यवधान) यहां आकर बताते हैं, दुखी हैं, हम खदेड़ देंगे।...(व्यवधान)

**MADAM CHAIRMAN:** Hon. Member, please conclude now.

... *(Interruptions)*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** हिन्दुस्तान की सीमा पर जो कब्जा हो रहा है, इससे ज्यादा शर्म और बेइज्जती हिन्दुस्तान की कभी नहीं हुई थी।...(व्यवधान) या तो 1962 में हुई है या अब आकर हुई है।...(व्यवधान) सारी दुनिया के अंदर हमारा सम्मान गिरा है, सम्मान नहीं रहा है। ...(व्यवधान) सबसे कमजोर, कायर एवं सबसे निकम्मी यहां की सरकार कही जा रही है।...(व्यवधान) लेकिन तब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान) हम ये जानते हैं कि सीमा के सवाल पर, देश की रक्षा के सवाल पर पूरा सदन एक रहेगा। फिर क्या वजह है? ...(व्यवधान) मैं लगातार इतने समय से बोल रहा हूं?...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी एवं रक्षा मंत्री जी ने, किसी ने हमें क्यों नहीं बुलाया? ...(व्यवधान) चेयर ने क्यों नहीं कहा, कि इनको बुलाइए, इनसे बात कीजिए। चेयर ने भी मेरा साथ नहीं दिया। ...(व्यवधान) इस बात का हम आरोप नहीं कर रहे, मैं दुखी होकर कह रहा हूं कि इस चेयर ने भी साथ नहीं दिया। ऐसे मामले में चेयर हस्तक्षेप करती है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि सरकार जवाब दे और तत्काल चीन की सेना को वहां से हटाए। ...(व्यवधान) उनको आदेश दें।...(व्यवधान) युद्ध हो जाए तो हो जाए।...(व्यवधान) युद्ध में हमारी सेना कमजोर नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए मेरी अपील है, सभापति जी, आप हस्तक्षेप करिए। ...(व्यवधान) सरकार इस पर बयान दे।...(व्यवधान)

**सभापति महोदया:** अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री योगी आदित्यनाथ, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

**योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):** सभापति महोदया, हाउस आर्डर में नहीं है, पहले हाउस आर्डर में करिए।...(व्यवधान)

**सभापति महोदया:** मुलायम सिंह जी भी ऐसे ही बोले थे, आप भी बोलिए।

...(व्यवधान)



**सभापति महोदया:** आपको नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे माननीय सदस्य को बुलाती हूँ।

...(व्यवधान)

**योगी आदित्यनाथ :** महोदया, हाउस ऑर्डर में नहीं है।...(व्यवधान) Madam Chairman, the House is not in order. ... *(Interruptions)*

**MADAM CHAIRMAN :** Now, Shri Bhartruhari Mahtab.

... *(Interruptions)*

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Madam Chairman, I stand here with utter remorse to speak about the manner in which – Shri Mulayam Singh ji has mentioned today – the intrusion by China’s People’s Liberation Army. ... *(Interruptions)* The Standing Committee on Defence and the Defence Ministry have already mentioned that the intrusion by Chinese troops has been to the extent of 19 kilometres into the Indian Territory. ... *(Interruptions)* In a deep incursion, Chinese troops have entered the Indian Territory in Daulat Beg Oldi and erected a tented post. A platoon strength contingent of China’s People’s Liberation Army has come 19 kilometres inside the Indian Territory in Burthe in DBO sector on April 15. ... *(Interruptions)* In 2010, on the request of the Home Ministry, Indo-Tibetan Border Police has been manning it. It should have been monitored by the Defence Ministry. ... *(Interruptions)*

**MADAM CHAIRMAN:** Please wait for a minute. You just associate yourself with the subject.

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB :** Madam, I am speaking on the subject on which I had given a notice. ... *(Interruptions)* Since 2010 it is the Indo-Tibetan Border Police which is manning this border. It should be the Defence forces which should man that border. ... *(Interruptions)* The DBO located in the North East Ladakh is an historic camp site and is located on an ancient silk trade route. ... *(Interruptions)*

I would request and I would urge upon the Government that adequate steps be taken to drive out the Chinese forces from the Indian Territory and all attempts should be made to demarcate the Line of Actual Control. ... (*Interruptions*) Until and unless the Line of Actual Control is demarcated, such incursions and skirmishes will continue to occur. This should not happen in future. ... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Shri Sudip Bandyopadhyay.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Chairman, Shri Mulayam Singh ji has raised a very important issue today. It is most important that China is in a mood to attack India slowly for which we should take immediate steps. ... (*Interruptions*) It is an important issue. The hon. Prime Minister should come to the House and he should make us aware about the latest situation and also what is happening in the country. ... (*Interruptions*) The whole House is very much aware of this. ... (*Interruptions*) We held an All Party Leaders' Meeting just now and everybody was of the opinion that this issue should be debated with all clarity. ... (*Interruptions*) Accordingly, we have been given permission to initiate it. ... (*Interruptions*) We are putting our opinions. We share the sentiments expressed by Shri Mulayam Singh Yadav ji. The Government should give time for discussing this issue and give the reply. ... (*Interruptions*) The hon. Prime Minister should come to the House and inform us on this without further delay. ... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Other hon. Members may associate by sending slips at the Table of the House. बाकी लोग स्लिप भेजकर अपने आपको एसोसिएट कीजिए।

... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Shri Jagdambika Pal, Shri S.S. Ramasubbu, Shri Nama Nageswara Rao, Shri Viswa Mohan Kumar, Shri Baidyanath Prasad Mahato, Shhri Bhudeo Choudhary, Shri Suvendu Adhikari and Shri N. Peethambara Kurup are allowed to associate with the matter raised by Shri Mulayam Singh Yadav.

The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

**12.19 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Fourteen  
of the Clock.*

---

**14.00 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.*

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

... (व्यवधान)

**14.0 ½ hrs**

*At this stage Shri Ganesh Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table*

**14.01 hrs****MATTERS UNDER RULE 377 \***

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House immediately. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

... (*Interruptions*)

**(i) Need to include gale/whirlwind under Calamity Relief Fund  
and grant immediate financial assistance to the banana  
farmers who suffered loss of their produce in  
Tirunelveli district, Tamil Nadu**

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Banana is the predominant crop raised in the Kalakkad-Thirukkurunkudi area of my Tirunelveli District in Tamil Nadu. Over 25 lakh plantains are cultivated in a season in this region. Harvested fruit is auctioned and traders from within the State and the neighbouring Kerala take part in the auction as the 'nenthiran' variety from

---

\* Treated as laid on the Table

this region is preferred for making banana chips and they are sold in various parts of the country and exported abroad. For raising the crops, farmers raise loans from banks, money lenders. Often due to gale/whirlwind, their crops get damaged and in overnight they fell in debt trap.

Over the past nine months, farmers have struggled to raise their crop against overwhelming odds such as scarcity of water for irrigation, crop destruction by rampaging wildlife and gale that swept Kalakkad, Manjuvilai, Keezha Paththai, Mela Paththai, Padmaneri, Thirattur, Karuvelankulam, Thoppur, Salaipudur. Chidambarapuram, Gopalamudhram, Thirukarankudi and surrounding areas. An estimated 10 lakh banana plants were damaged. A farmer has to spend at least Rs. 100 on a plant till it attains the harvest stage. Even as the farmers are waiting for the harvest, the gale dashes their hopes quite often.

Unexpectedly, on Monday. 15<sup>th</sup> April 2013 evening, heavy rain and gale destroyed banana plantations in southern parts of Tirunelveli district just like Thane cyclone inflicting further loss on farmers who were already reeling under falling prices for their produce and they have incurred heavy losses.

As banana plantation and leaves are quite often damaged, I humbly urge upon the Union Government to include damage caused due to gale/whirlwind under Calamity Relief Fund and grant immediate financial assistance to the affected banana farmers of my Tirunelveli District, Tamil Nadu without delay.

## **(ii) Need to permit mixed land use in Lal Dora villages in Delhi**

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):** दिल्ली के गांवों का लालडोरा वर्ष 1908-09 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था और उस समय पूरे गांव का खसरा नम्बर एक ही रखा गया था। चूंकि, उस समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह नहीं सोचा था कि आजाद भारत में कभी गांवों में भी भवन निर्माण नियम लागू किए जाएंगे। चूंकि, पूरे गांव का एक ही खसरा नम्बर है, इसलिए व्यक्तिगत स्वामित्व का दस्तावेज कोई भी ग्रामवासी आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसके अलावा स्थानीय निकाय की कुछ दूसरी शर्तें जैसे कि चौड़े और सुगम रास्ता होना भी गांव के लाल डोरे में संभव नहीं है।

दूसरे, भारत की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है और गांवों में निवास करती है। चूंकि गांववासियों का आज भी मुख्य कार्य खेती करना ही है और गांव का भूमिहीन वर्ग भी कृषि काग्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए, प्रत्येक ग्रामवासी अपने मकान, घर, गितवाड़ इत्यादि कृषि कार्यों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। इसलिए, ग्रामवासियों द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार मकान बना पाना नामुमकिन है।

यह भी विदित है कि चूंकि, पूरे गांव का एक ही खसरा नम्बर होता है और इस खसरा नम्बर में रहने वालों को व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए, लाल डोरा में स्थित प्लॉट, मकान पर किसी कार्य के लिए बैंकों और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा ऋण भी प्रदान नहीं किया जाता है। इस कारण से गांव वाले अपने भवन सरकार से कर्ज लेकर भी भवन निर्माण नियम के अनुसार नहीं बना पाते हैं।

यह ध्यान में लाना भी उचित है कि चूंकि, गांवों की भूमि का दिन-प्रतिदिन सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। इसलिए ग्रामों में बसे किसान और खेतिहर मजदूर दिन-प्रतिदिन बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए गांवों में रोजगार सर्जन हेतु जमीन के मिश्रित प्रयोग की नितांत आवश्यकता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 17.1.2011 की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करके लाल डोरा एवं विस्तारित लाल डोरे में भवन निर्माण नियम लागू न किए जाने तथा गांवों के किसानों एवं खेतिहर, भूमिहीनों की बढ़ती गरीबी बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए लाल डोरे में स्थित जमीन का मिश्रित प्रयोग किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

**(iii)Need to establish Inter Colleges in Barabanki parliamentary constituency  
in Uttar Pradesh under Multi-sectoral Development  
Programme for Minority Concentration Districts**

**श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):** मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जोकि मुस्लिम बाहुल्य तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी में शिक्षा हेतु इंटर कॉलेज खोलने के संबंध में है, की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित शैक्षणिक रूप से पिछड़े जनपदों में बाराबंकी जनपद भी एक है । मेरे द्वारा समय-समय पर बाराबंकी में शिक्षा के क्षेत्र में आयाम स्थापित किए जाने का अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मेरे प्रस्ताव पर अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है । मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि बाराबंकी के कुछ क्षेत्रों में स्थापित शिक्षा व्यवस्था बाढ़ की चपेट में आने से प्रतिवर्ष प्रभावित भी होती है ।

मेरे द्वारा मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट के तहत बाराबंकी के किन्तुर, सुबेहा, हसनपुर टांडा, लालपुर कारोत, गणेशपुर, हैदरगढ़, बांसा, भयारा, इब्राहीमाबाद में इंटर कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बजट का अभाव बताते हुए कॉलेज खोलने से मना कर दिया । मेरे द्वारा पुनः प्रयास जारी रखने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केवल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ स्कूलों को 12वीं तक विस्तारित करने का उपाय बताया गया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और इसके अंतर्गत भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

**(iv) Need to establish Kendriya Vidyalayas in the remaining 55 districts of Uttar Pradesh**

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): देश में राष्ट्रीयता एकता एवं भारतीयता की भावना के साथ बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने निमित्त 1965 में अपनी स्थापना के बाद से केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा देश में वर्तमान में 1 अप्रैल, 2013 को 1093 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं ।

देश की कुल लगभग 120 करोड़ आबादी में से लगभग 20 करोड़ अर्थात् कुल आबादी का 1/6 हिस्से वाले उत्तर प्रदेश में 17 जनपदों में मात्र 55 केन्द्रीय विद्यालयों की ईकाइयों हैं । देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों में से मात्र 17 जनपदों में ही केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना पर्याप्त संख्या में नहीं है ।

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना में संख्यात्मक दृष्टि से यह विसंगति उत्तर प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के सरकारी लक्ष्य पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है । यह स्थिति अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है और इसका निदान तत्काल होना अभीष्ट है ।

मेरी मांग है कि केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश में अब तक 17 जनपदों में स्थापित केन्द्रीय विद्यालयों को बढ़ाकर उत्तर प्रदेश के शेष 55 जनपदों में भी अतिशीघ्र केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु सरकार अविलम्ब सभी कदम उठाएं ।



**(v) Need to re-name the All India Institute of Medical Sciences,  
Jodhpur after Meera Bai, the princess and a devotee  
of Lord Krishna**

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मेरे राज्य के जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का 31 जनवरी, 2004 को शिलान्यास वरिष्ठ सांसदों की उपस्थिति में किया गया था। शिलान्यास समारोह के समय विश्व में श्रीकृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध मीरा बाई के नाम से “मीरा बाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर” के नाम का शिलापट्ट का अनावरण किया गया था जो पट्टिका आज भी जोधपुर एम्स परिसर में लगी हुई है।

जोधपुर एम्स का मेडिकल कॉलेज 18 सितम्बर, 2012 से शुरू हो गया है। जोधपुर एम्स के भवन पर “मीरा बाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर” नहीं लिखकर सिर्फ “अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर” ही लिखा है और यही नाम मुख्य द्वार पर भी लिखा गया है।

एम्स के आगे से मीरा बाई का नाम क्यों हटाया गया? यह मीरा बाई का अपमान है। पूर्व में शिलान्यास करने वाले मंत्रियों का अपमान है। ऐसा क्यों किया गया मंत्री जी जवाब दें। जोधपुर में एम्स के नाम के आगे मीरा बाई का नाम पुनः जोड़वाने के लिए वहां पर आंदोलन हुआ है। अतः भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मांग है कि जोधपुर स्थित एम्स के भवन पर “मीरा बाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर” नाम लिखवाया जावे।

**(vi) Need to set up rehabilitation centres for orphaned and poor street children in every district of the country**

**श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** देश में बाल श्रमिकों एवं बेघर बच्चों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनायें सिर्फ कागजों में सिमटकर रह गई है इनके क्रियान्वयन में काफी विसंगतिया होने से बच्चे दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है देश की राजधानी दिल्ली में ही काफी खतरनाक स्थिति है बाल श्रमिकों के इस संबंध में आये आंकड़े काफी चौकाने वाले है बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था 'सेव द चिल्ड्रन' को महिला बाल विकास विभाग ने बेघर बच्चों के सर्वेक्षण का कार्य सौंपा था जिसमें उत्तरी दिल्ली 10,091 पूर्वी जिला 7325 मध्य दिल्ली 5862 पश्चिमी दिल्ली 5769 नई दिल्ली 5629 उत्तर पूर्वी 5416 दक्षिण जिला 4314 उत्तर पश्चिमी 3581 दक्षिण पश्चिमी 2936 कुल 50923 बेघर बच्चे है सर्वे में बच्चों की तीन श्रेणियां बनाई गई थी पहली श्रेणी में वह बच्चे थे जो अकेले फुटपाथ पर रहते हैं बेघर बच्चों की कुल संख्या में इनकी भागीदारी 28 प्रतिशत है दूसरी श्रेणी में परिवार के साथ रहने वाले बच्चे हैं लेकिन अधिकतर समय फुटपाथ पर काम करके गुजारते हैं । करीब 29 प्रतिशत बच्चे परिवार का बोझ उठाने में मदद करते हैं तीसरी श्रेणी में माता पिता के साथ फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे हैं जो लगभग 36 प्रतिशत हैं 7 प्रतिशत बच्चों की पारिवारिक स्थिति के बारे में पता नहीं चला ।

अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों में बेघर अनाथ बच्चों के संबंध में शीघ्र विशेष सर्वे कराकर उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु सभी जिलों में पुनर्वास केंद्र बनाये जायें ।

**(vii) Need to set up a Bench of Allahabad High Court at Meerut or Moradabad**

**डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल):** सरकार का ध्यान में उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक न खोले जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के मुवक्किल लगभग 800 कि.मी. तक का सफर तय करके इलाहाबाद हाईकोर्ट या लखनऊ पहुंचते हैं जो कि बेहद दुखदायी है। लगभग 17 करोड़ की आबादी वाले इस सूबे में इलाहाबाद के पास ही लखनऊ में एक बेंच है जबकि मिजोरम जैसे 7 लाख की आबादी वाले सूबे में भी एक बेंच है। इलाहाबाद/लखनऊ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से ज्यादा होने से मुवक्किल टाइम से भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं और उनके केस पेंडिंग हो जाते हैं। अभी भी लगभग 15 लाख केस उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं जो कि चिंता का विषय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाईकोर्ट की नई बेंच खोले जाने की तैयारी में नई बिल्डिंग भी बनकर तैयार है। इन जिलों की स्थानयी जनता व वकील संगठन बरसों से धरने प्रदर्शन व भूख हड़ताल वगैरह करते आ रहे हैं लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो कि ठीक नहीं है।

मेरी सरकार से मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता व मुवक्किलों (वकीलों) की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए मेरठ या मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच फौरन खोलने की मेहरबानी करें।

**(viii) Need to undertake construction of road from Beldaur to  
Priyanagar in Khagaria district, Bihar under Pradhan  
Mantri Gram Sadak Yojana**

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य अंतर्गत खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड में पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत जॉब संख्या. 17/8 बेलदौर से प्रियनगरा एवं जॉब संख्या - 17/10 बेलदौर से पचौट सड़क का निर्माण कार्य एजेंसी एनबीसीसी द्वारा किया जा रहा था । वर्ष 2009 के बाद मैं उक्त निर्माणाधीन सड़क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया जिसके कारण संवेदन द्वारा कार्य बंद कर दिया गया । बेलदौर से प्रियनगरा सड़क, प्रखंड मुख्यालय को मुख्य सड़क एनएच- 107 से जोड़ती है जो जिला मुख्यालय का संपर्क पथ है । लंबी अवधि बीतने के बाद भी उक्त सड़क का कार्य पूर्ण नहीं होने से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है ।

अतः उक्त सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये या बिहार में एनबीसीसी के सेविंग फंड की राशि से निर्माण पूर्ण कराकर आम लोगों को सड़क की सुविधा उपलब्ध कराये ।

**(ix)Need to set up a Rail Industrial Park in East  
Midnapore, West Bengal**

SHRI SUVENDU ADHIKARI (TAMLUK): I would like to bring it to the kind attention of Hon'ble Minister of Railways, Govt. of India through you that we cannot deny the importance of an industrial park in economy development. An industrial park is based on the philosophy of integrating different industrial functions. It boosts up economic viability of any country by creating an ample scope of infrastructure development. And I think that industrial park plays a great role in a country, like India where unemployment is a burning issue.

.Considering this important aspect of economic viability of an industrial park, the then Hon'ble Railway Minister, Govt. of India, Miss Mamata Banerjee gracefully announced in her Railway Budget, 2011-12 to set up a "Rail Industrial Park" at Jellingham in Nandigram, East Midnapore, West Bengal. Speaker Madam, I must say that our leader Miss Mamata Banerjee started development of railway infrastructure with a meticulous planning. It was proposed that the park would be a cluster of different industrial units whose output will be consumed by the railways and at its initial stage it would focus on high volume safety, which is very essential. A joint venture between Burn Standard Co. Ltd and SAIL was initiated to manufacture car steel bogies and couplers. Naturally, there is an opportunity of employment not only in Bengal but also in the country and the park shall be a beginning to create a global hub in India for Railway industry.

But the deep concern is that there is no positive initiative from the Ministry of Railways, Govt. of India for this innovative thought of the then Hon'ble Union Railway Minister, to set up a "Rail Industrial Park." I don't know why the concerned Ministry is not showing interest for this viable project.

So, this is my humble request to Hon'ble Minister of Railways, Govt. of India to please take initiative for the project so that economic as well as commercial viability of Indian Railways can be sustained.

**(x)Need to adopt safety measures to prevent fire in ONGC oil wells in Nagapattinam parliamentary constituency, Tamil Nadu and also to provide employment to the local youth by ONGC**

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas about the need to take immediate fire safety measures in the ONGC oil wells in Nagapattinam Parliamentary Constituency and also to provide employment opportunities to the locals.

I would like to mention that a number of ONGC oil wells have been drilled in the Nagapattinam and Tiruvarur Districts of my Nagapattinam Parliamentary Constituency, Tamil Nadu. A lot of people have been engaged for work in these wells. But, fire accidents are taking place very frequently and a large number of casualties are reported. There is an urgent need to take fire-safety measures in these oil wells to prevent the fire accidents in future and improve the safety culture in the activities undertaken.

I would also like to mention that the people from the Nagapattinam and Tiruvarur districts are not being provided employment in these oil wells, which causes great resentment among the local people. The ONGC authorities are engaging the people from other States/districts in these oil wells which are against the interest of the local people. The ONGC authorities may be strictly instructed to provide employment to the local people first.

Keeping in view the above, I urge upon the Union Government and the Minister of Petroleum and Natural Gas to consider the above two most important proposals at the earliest for the welfare of the poor people in Nagapattinam Parliamentary Constituency.

**(xi) Need to impress upon the Government of Bihar to provide all facilities to teachers and students to help improve standards of teaching in Government schools in Bihar**

**श्री जगदानंद सिंह (बक्सर):** शिक्षा का अधिकार देश के सभी 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों का कानूनी अधिकार है। अधिकार नामांकन का केवल नहीं है बल्कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पाकर योग्यता हासिल करने का भी है। यह तभी संभव है जब योग्य शिक्षक हों, कमरे में फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, खेलकूद का मैदान, पेयजल तथा शौचालय का उचित प्रबंध हो अर्थात् गुणात्मक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ व्यवस्था हो एवं जिसका नतीजा परिलक्षित हो।

राष्ट्रीय पैमाने पर असर सही नहीं दिख रहा है। बिहार राज्य की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। गुणात्मक शिक्षा के लिए तय मापदंड का एक भी पैमाना लागू नहीं हो पाया है। शिक्षक लगातार समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन पर उतारू हैं। विद्यालयों में पढ़ाई बाधित है। आंदोलित शिक्षक लगातार सरकार के द्वारा आंदोलन के दौरान लाठी खाकर घायल हो रहे हैं। घायलों में पुरुष शिक्षकों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। न केवल पुरुष शिक्षक बल्कि महिला शिक्षकों की प्रताड़ना के चलते वातावरण विषाक्त होता जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा का आधार तैयार करता है। राष्ट्रीय स्तर पर अशिक्षित आबादी का अधिकांश हिस्सा बिहार में रहता है। पढ़ाई न होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी निजी विद्यालयों में चले गए हैं। केवल गरीब और असहाय बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लाभ में बचे हैं। विद्यालयों की पढ़ाई बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गारंटी है। विद्यालयों को अनाथालय में परिवर्तित होने से रोका जाना चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूँ कि 'राईट टू एजुकेशन' की मूल भावना को स्थापित करने के लिए बिहार की सरकार को निर्देशित करे ताकि अशिक्षा न बढ़े एवं राष्ट्रीय धन का भारी अपव्यय भी न होने पाये जिससे लक्षित गुणात्मक शिक्षा का वातावरण तैयार किया जा सके।

---



उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ...\**

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 30<sup>th</sup> April, 2013 at 11.00 a.m.

**14.02 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 30, 2013/ Vaisakha 10, 1935 (Saka).*

---

---

\* Not recorded.